250 मेगावॉट के तीन डाटा सेंटर पार्क व 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित होंगी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को मंजूरी दी

लखनऊ। प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। डाटा सेंटर पार्क और इकाइयों में 20 हजार करोड़ का निवेश आएगा, इससे 4 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 10 से 20 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। योगी कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को मंजूरी दी है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जा रहा है। डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदेश की डाटा सेंटर नीति नहीं थी। प्रदेश सरकार ने डाटा सेंटर नीति लागू करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि डाटा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 20 हजार करोड़ के निवेश से 250 मेगावाट क्षमता के तीन डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ब्यूरो

निवेशकों को ऑनलाइन इंसेंटिव भुगतान का फैसला

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति-2003 व 2012 के तहत निवेशकों के वित्तीय लाभ की मंजूरी ऑनलाइन देने का फैसला किया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2003 व अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति की तुलना में जरूरी राशि आयुक्त एवं निदेशक कानपुर, संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग लखनऊ मंडल की ओर से आहरित कर पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद पिकप व यूपीएफसी पात्र इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण का वितरण करते हैं। पूर्व से क्रियान्वित हो रही इन नीतियों के अंतर्गत अब पात्र लाभार्थी इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण वितरण की ऑनलाइन कार्यवाही होगी। इससे इंसेंटिव वितरण में पारदर्शिता आएगी। ब्यूरो

एसएसबी के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी

लखनऊ। कैबिनेट ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 70वीं वाहिनी और सीमा चौकी की स्थापना के लिए लखीमपुर खीरी के महादेवा गांव में 25.106 हेक्टेयर जमीन एसएसबी को सौंपने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह जमीन 90 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी। हर तीस साल पर इसका नवीनीकरण कराना होगा। जमीन पर स्वामित्व राजस्व विभाग का बना रहेगा। ब्यूरो